

संख्या— 100
06/02/2018

मंत्रिपरिषद् के निर्णय

पटना-06 फरवरी, 2018 ::- आज सम्पन्न मंत्रिपरिषद् की बैठक में निम्नांकित निर्णय लिये गये। उक्त जानकारी देते हुए विशेष सचिव, श्री उपेन्द्र नाथ पाण्डेय ने बताया कि गृह विभाग (विशेष शाखा) के अन्तर्गत बिहार विशेष सुरक्षा ग्रुप (नियुक्ति एवं सेवाशर्तों) नियमावली, 2000 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 5(4) में उल्लिखित पुलिस पदाधिकारियों की निर्धारित उम्र सीमा में संशोधन हेतु बिहार विशेष सुरक्षा ग्रुप (नियुक्ति एवं सेवाशर्तों) (संशोधन) नियमावली, 2018 अधिसूचित करने की स्वीकृति दी गई। गृह विभाग (आरक्षी शाखा) के अन्तर्गत राज्य योजनान्तर्गत पुलिस भवनों के निर्माण हेतु पुरानी चालू योजनाओं को पूर्ण करने के लिए बिहार आकस्मिकता निधि से ₹3000.00 लाख (तीस करोड़ रु०) मात्र की अग्रिम की स्वीकृति तथा गृह विभाग (आरक्षी शाखा) के ही तहत माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा Writ Petition (Civil) No.-183/2013 में पारित आदेश के अनुपालनार्थ सिपाही एवं समकक्ष पदों पर नियुक्ति हेतु विज्ञापन सं०-01/2017 तथा 02/2015 का क्रमशः लिखित परीक्षा एवं शारीरिक जाँच-माप परीक्षण हेतु कुल ₹9,00,00,000 (नौ करोड़ रु०) मात्र राशि का बिहार आकस्मिकता निधि से अग्रिम की स्वीकृति एवं इसके निमित्त बिहार बजट मैनुअल-2016 के नियम-100 को क्षांत करने की स्वीकृति दी गई। पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 से राज्य योजनान्तर्गत 23 जिलों यथा-1. नालन्दा 2. रोहतास 3. भभुआ (कैमूर) 4. बक्सर 5. जहानाबाद 6. अरवल 7. नवादा 8. औरंगाबाद 9. सीवान 10. गोपालगंज 11. सीतामढ़ी 12. शिवहर 13. समस्तीपुर 14. सुपौल 15. अररिया 16. किशनगंज 17. कटिहार 18. बांका 19. लखीसराय 20. शेखपुरा 21. जमुई 22. खगड़िया 23. बेगूसराय में एक-एक नये प्राक्-परीक्षा प्रशिक्षण केन्द्र के संचालन एवं पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अन्तर्गत बिहार काश्तकारी (संशोधन) नियमावली, 2018 की स्वीकृति दी गई। लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के अन्तर्गत श्री ब्रजभूषण प्रसाद सिन्हा, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, भभुआ (संप्रति निलंबित मुख्यालय, क्षेत्रीय मुख्य अभियंता कार्यालय, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, मुजफ्फरपुर प्रक्षेत्र मुजफ्फरपुर) के विरुद्ध अप्रत्यानुपातिक धनार्जन के ठोस साक्ष्य मिलने के कारण विभागीय संकल्प संख्या-409 दिनांक-28.04.2014 द्वारा उनके विरुद्ध संस्थित विभागीय कार्यवाही में दोषी पदाधिकारी के विरुद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 14(XI) के तहत सेवा से बर्खास्तगी, जो सामान्यतया सरकार के अधीन भविष्य में नियोजन के लिए निरर्हता होगी, की शास्ति अधिरोपित करने की स्वीकृति दी गई।

विशेष सचिव ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग के अन्तर्गत मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष में प्रावधानित राशि में वृद्धि/परिवर्तन करने एवं अधिसूचित रोगों के अलावे अन्य रोगों को शामिल करने की स्वीकृति संलेख की कंडिका 2 से 10 में निहित प्रावधानों/प्रक्रिया के अनुरूप देने की स्वीकृति दी गई। उन्होंने बताया कि पूर्व से शामिल रोगों की सूची में नए नाम जोड़े गये हैं, जिनमें बोन मैरो ट्रांसप्लांट, हीमोफिलिया, ट्रांसजेन्डर, हेपेटाइटिस तथा ट्रॉमा/दुर्घटना/ब्रेन हैमरेज शामिल हैं। आगे स्वास्थ्य विभाग के ही तहत "बिहार परिधापक संवर्ग (संशोधन) नियमावली, 2018" पर स्वीकृति दी गई। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के अन्तर्गत बिहार राज्य अल्पसंख्यक वित्तीय निगम, पटना का हिस्सा पूंजी राशि 40.00 (चालीस) करोड़ रुपये से बढ़ाकर 80.00 (अस्सी) करोड़ रुपये एवं बढ़ी हुई हिस्सा पूंजी की राशि का भुगतान 08.00 (आठ) करोड़ रुपये प्रतिवर्ष की दर से करने तथा निगम के **Memorandum & Articles of Association** में तदनु रूप संशोधन/परिवर्तन करने की स्वीकृति दी गई। उद्योग विभाग के अन्तर्गत मे० सनमार्क इनर्जी प्रोजेक्ट लि०, नई दिल्ली द्वारा जलसार, चिलम, शेरघाटी, गया में 10 मेगावाट क्षमता का ए०सी० सोलर पॉवर प्लांट ईकाई के स्थापना हेतु कुल रू० 8123.86 लाख (इकासी करोड़ तेईस लाख छियासी हजार) रूपए की लागत से निजी पूंजी निवेश एवं वित्तीय प्रोत्साहन क्लीयरेंस की स्वीकृति दी गई। उद्योग विभाग के अन्तर्गत मे० श्री सीमेंट लि०, हंस भवन, बहादुर साह जाफर मार्ग, नई दिल्ली द्वारा औद्योगिक विकास केन्द्र, औरंगाबाद में 30 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट सहित 5.5 मिलियन टन प्रतिवर्ष क्षमता का सीमेंट प्लांट में० न्यू बिहार सीमेंट प्लांट (श्री सीमेंट की एक इकाई) की स्थापना हेतु कुल रू० 49042.00 लाख (चार सौ नब्बे करोड़ बेयालीस लाख रूपये) की लागत के निजी पूंजी निवेश की स्वीकृति एवं वित्तीय प्रोत्साहन क्लीयरेंस की स्वीकृति दी गई। कला, संस्कृति एवं युवा विभाग के अन्तर्गत "बिहार अधीनस्थ खेल एवं युवा संवर्ग नियमावली-2018" के गठन की स्वीकृति दी गई।

उन्होंने बताया कि ग्रामीण कार्य विभाग के अन्तर्गत श्री रविन्द्र कुमार सिंह, तदेन सहायक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल-2, विक्रमगंज सम्प्रति निलंबित सहायक अभियंता, अभियंता प्रमुख का कार्यालय, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) (संशोधन) नियमावली 2007 के नियम 14(xi) के तहत सेवा से बर्खास्त की शास्ति अधिरोपित करने के प्रस्ताव पर स्वीकृति दी गई। पथ निर्माण विभाग के अन्तर्गत बिहार लोक निर्माण विभाग संहिता की कंडिका-158 कंडिका-294 IX(xvi), कंडिका-294 II(i) कंडिका 294 II (iii) तथा कंडिका 294 VIII में संशोधन की स्वीकृति दी गई। वित्त विभाग के अन्तर्गत राज्य के दिव्यांग सरकारी सेवकों को परिवहन भत्ता, पुलिस प्रशिक्षण/अकादमी के प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण भत्ता तथा परिचारी/चालकों को वर्दी भत्ता के पुनरीक्षित दर की स्वीकृति तथा वित्त विभाग के ही तहत LPA No. 724/2016 (C.W.J.C No. 6122/2014 से

उद्भूत) कामेश्वर पाण्डेय बनाम बिहार राज्य एवं अन्य में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिनांक-04.04.2017 को पारित अन्तरिम आदेश में की गयी पृच्छा के आलोक में दिनांक-01.01.1996 से स्वीकृत वेतनमान ₹6500-10500/- को संशोधित कर ₹8000- 13500/-स्वीकृत करने की स्वीकृति दी गई। शिक्षा विभाग के अन्तर्गत "वित्तरहित शिक्षा नीति" के समाप्ति के उपरान्त निर्दिष्ट मापदण्ड पूर्ण करने वाले स्थापना अनुमति तथा प्रस्वीकृति प्राप्त अनुदानित माध्यमिक विद्यालय के शैक्षणिक सत्र 2010-11, 2011-12 एवं 2012-13 एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय (इंटर महाविद्यालय) के शैक्षणिक सत्र 2009-11, 2010-12 एवं 2011-13 में सरकारी अनुदान हेतु वित्तीय वर्ष 2017-18 में ₹3,37,49,16,400/- (तीन अरब सैंतीस करोड़ उनचास लाख सोलह हजार चार सौ) रुपये की स्वीकृति एवं तत्काल ₹3,30,00,00,000/- (तीन अरब तीस करोड़) रुपये मात्र की विमुक्ति एवं व्यय की स्वीकृति तथा शिक्षा विभाग के ही तहत वित्तीय वर्ष 2017-18 में राज्य के परम्परागत विश्वविद्यालयों में कार्यरत/सेवानिवृत्त शिक्षक/ शिक्षकेत्तर कर्मियों को इस वित्तीय वर्ष में पूर्ण अवधि के वेतनादि/पेंशनादि भुगतान सुनिश्चित करने हेतु वेतनादि मद में रु० 3,61,71,17,000/- (तीन अरब इकसठ करोड़ इकहत्तर लाख सत्तरह हजार रु०) मात्र एवं गैर वेतनादि मद में रु० 1,29,76,06,000/- (एक अरब उनतीस करोड़ छिहत्तर लाख छः हजार रु०) मात्र अर्थात् कुल रु० 4,91,47,23,000/- (चार अरब इक्यानवें करोड़ सैंतालीस लाख तेईस हजार रु०) मात्र बिहार आकस्मिकता निधि से अग्रिम राशि की स्वीकृति प्रदान की गई।

विशेष सचिव ने बताया कि संसदीय कार्य विभाग के अन्तर्गत बिहार विधान सभा सचिवालय द्वारा राष्ट्रमंडल संसदीय संघ के भारत प्रक्षेत्र का छठा सम्मेलन दिनांक-16.02.2018 से 19.02.2018 तक पटना में आयोजित किये जाने पर होने वाले व्यय के भुगतान हेतु बिहार आकस्मिकता निधि से 1.40 करोड़ रुपये मात्र की स्वीकृति दी गई। कृषि विभाग के अन्तर्गत किसान सलाहकार योजना अन्तर्गत किसान सलाहकारों के मानदेय में 8000/-प्रतिमाह को दिनांक-01.04.2017 के प्रभाव से 12000/-प्रतिमाह किये जाने तथा इस हेतु किसान सलाहकार योजना के लिए वित्तीय वर्ष 2017-18 में स्वीकृत 6424.88149 लाख (चौसठ करोड़ चौबीस लाख अठासी हजार एक सौ उनचास) रुपये के अतिरिक्त 3110.40 लाख (एकतीस करोड़ दस लाख चालीस हजार) रुपये, कुल 9535.28149 लाख (पंचानवे करोड़ पैंतीस लाख अठाइस हजार एक सौ उनचास) रुपये की योजना कार्यान्वयन की स्वीकृति दी गई। भवन निर्माण विभाग के अन्तर्गत भवन निर्माण विभाग के अंतर्गत कराये जाने वाले मूल प्रकृति के कार्यों का संरचना एवं कार्य प्रमंडलों के बीच आवंटन करने के लिए अभियंता प्रमुख को अधिकृत करने का प्रस्ताव की स्वीकृति दी गई तथा पर्यटन विभाग के अन्तर्गत होटल प्रबंधन संस्थान, खानपान एवं पोषाहार, बोधगया के डिप्लोमा एवं डिग्री पाठ्यक्रमों के संचालन हेतु शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई।